



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2019/भाद्र 1, 1941

No. 484]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2019/BHADRA 1, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

**सा.का.नि. 595(अ).**—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 में, नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

**“3क परमाणविक खनिजों के संबंध में अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति अथवा पट्टे की स्वीकृति पर निषेध**—सरकार या सरकारी कंपनी अथवा सरकारी नियंत्रण या स्वामित्व वाले निगम को छोड़कर, किसी व्यक्ति को कोई परमाणविक खनिजों की अवीक्षण अनुज्ञा, खोज अनुज्ञप्ति अथवा उत्पादन पट्टा नहीं दिया जाएगा।”

[फा. सं. 1/2/2019-एम. VI]

ए. के. नायक, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** अपतट क्षेत्र खनिज रियायत नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 3 नवंबर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 338(अ) तारीख 11 फरवरी, 2010 द्वारा 15 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हुए थे।

**MINISTRY OF MINES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2019

**G.S.R. 595(E).**—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral Concession (Amendment) Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

**“3A. Prohibition on grant of permit, licence or lease in respect of atomic minerals.**—No reconnaissance permit, exploration licence or production lease of atomic minerals shall be granted to any person, except the Government or a Government Company or a Corporation owned or controlled by the Government”.

[F. No. 1/2/2019-M.VI]

A. K. NAYAK, Jt. Secy.

**Foot note:** The Offshore Areas Mineral Concession Rules, 2006 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(i), dated the 3rd November, 2006 and came into force w.e.f 15th January, 2010 *vide* notification number S.O. 338(E), dated 11th February, 2010.